बनाम

23/4/14	वकीलान फरीकैन हाजिर। अपील उनवान हेतु अदम चाप दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1, 4 व 12 की तलबी हो। मिसल बाकी तलबी उनवान ता 10/5/14 के पेश हो।
10/5/14	वकीलान फरीकैन हाजिर। अपील उनवान हेतु अदम चाप दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1, 4 व 12 की तलबी हो। मिसल बाकी तलबी उनवान ता 27/5/14 के पेश हो।
27/5/14	वकीलान फरीकैन हाजिर। अर्जी अन्तरिम की जानिब हो। मिसल ता 17/6/14 को पेश हो।
17/6/14	वकीलान फरीकैन हाजिर। अपील उनवान हेतु अदम चाप दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1, 4 व 12 की तलबी हो। मिसल बाकी तलबी उनवान ता 18.7.14 को पेश हो।
18.7.14	वकीलान फरीकैन हाजिर। अपील पर बहस अपील उर्फ जाने बहसान की वकील वादी ने उनवान पेश नहीं किये जिस पर बहस की गई। प्रतिवादी सं. 1, 4 व 12 की तलबी के लिए भी बार बार समय दिलाने के बावजूद वकील वादी द्वारा समन तामील नहीं कराये गये। अपील सुनी गयी। वकील वादी ने बयान के दौरान कथन किया कि वादिनी का संपर्क पुत्र नहीं था तथा न ही परिवार इस संपर्क को था जिसके कारण वादिनी के पति की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं हो पाई। इसके विपरीत वकील

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी ने बहस के दौरान कथन किया कि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकदमा को आदेश पेश नहीं किया अतः दावा अवैध योग्य है।

हमने पक्षकारान फरीकेन की बहस का मनन किया व पत्रावली का उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता मृतक डूंगाराम प्रतिवादी सं. 1 है तथा दावा वादीगण द्वारा उद्घोषणा को किया गया है प्रतिवादी सं. 7 ता 12 प्रार्थीगण प्रतिवादीगण बनाये गये है। दावा दायरी के पश्चात प्रतिवादी सं. 4 का 2 श्री पुत्र तभी भी नहीं कार्यवाही कर रही है ऐसी स्थिति में दावा सीपीसी प्रावधानानुसार भी चलने योग्य नहीं है एवं दावा अवैध योग्य है। अतः प्रतिवादी सं. 2 का आवेदन अवैध होने से खारिज योग्य है प्रतिवादी सं. 1 के का. मु. आवेदन के अभाव में संपूर्ण दावा अवैध होने से खारिज किये जाते है। नियम खर्चा पक्षगण अपना अपना वहन करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
धोद-मु. सीकर